POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 19.11.2025

1. थाना सेक्टर- 24 व थाना सेक्टर- 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस टीम द्वारा घरेलू सहायिका बनकर घरों से कीमती आभूषण चोरी करने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, महिलाओं के कब्जे से लगभग 85 लाख रूपयें की कीमती ज्वैलरी/डायमंड व नगदी लगभग 02 लाख 89 हजार रूपयें बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर- 24 व प्रभारी निरीक्षक **थाना सेक्टर- 49 नोएडा** के नेतृत्व में घरेलू सहायिका बनकर घरों से कीमती आभूषण चोरी करने वाली 02 अभियुक्ता 1.मामूनी जना उर्फ मोनी पत्नी निर्मल यादव 2. आशा उर्फ मामोनी उर्फ मोनी यादव पत्नी कमल यादव को **गिरफ्तार** किया गया है। घटना के अनावरण हेतु गठित की गयी टीम के द्वारा सीसीटीवी0 फुटेज , लोकल इंटैलीजेंस व सर्विलांस टीम की मदद से संदिग्ध महिलाओं के फोटो व मो0नं0 प्राप्त हुये जिसके बारे में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि दोनों महिलाएं पश्चिम बंगाल में है। दोनो थानों की पुलिस टीम के द्वारा तलाश वाँछित अभियुक्ता के दौरान उच्चाधिकारीगण की अनुमति के उपरान्त रवाना होकर पश्चिम बंगाल पहुँचे तो दिनांक 19.11.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं की अलग-अलग निशानदेही पर लगभग 85 लाख रूपयें की कीमती ज्वैलरी/डायमंड व नगदी लगभग 02 लाख 89 हजार रूपयें बरामद किये गये। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के पश्चात दोनों अभियुक्ताओं को मा0 न्यायालय (मेंदनीपुर पश्चिम बंगाल) के समक्ष मय माल के पेश किया गया था जहाँ पर मा0 न्यायालय द्वारा दोनों का 03 दिवस का ट्रांजिट रिमाण्ड स्वीकृत कराया। बाद दीगर कार्यवाही एवं बाद मेडिकल समय से मा0 न्यायालय (गौतमबुद्धनगर) के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मामूनी जना उर्फ मोनी पत्नी निर्मल यादव निवासी गांव सारंग थाना एगरा जिला पूर्वी मेदनीपुर पश्चिम बंगाल उम्र करीब 31 करीब जिसे दिनांक **19.11.2025** को मातारा होटल सारंग थाना एगरा जिला पूर्वी मेदनीपुर पश्चिम बंगाल से **गिरफ्तार** किया गया। (मु0अ0सं0 0503/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना से0 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर)

2. आशा उर्फ मामोनी उर्फ मोनी यादव पत्नी कमल यादव नि0 शाहबिलदा थाना बेलदा जिला पश्चिम मेदनीपुर पश्चिम बंगाल उम्र 30 वर्ष जिसे दिनांक **19.11.2025** को सारंग बाजार थाना एगरा जिला पूर्वी मेदनीपुर पश्चिम

बंगाल से **गिरफ्तार** किया गया (मु0अ0सं0 0306/2025 धारा 306,317(2) बीएनएस0 थाना से0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर)

अपराध करने का तरीका-- दोनो अभियुक्ताओं द्वारा बताया गया कि वह नोएडा में पिछले 05 वर्ष से निवास कर रही है व काम के सिलसिले में लोगों के घरों में घरेलू सहायिका के तौर पर काम मांगने के लिये जाती है, जहाँ भी उन्हें काम मिलता है वहाँ मौका पाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर दोबारा उस जगह पर काम करने नहीं जाती है औऱ चोरी के मिले हुये माल को गलाकर अपने पास रख लेती है और राह चलते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताकर बेंच देती है उसी से अपना खर्चा करती है।

पूछताछ का विवरण--

1. प्रकाश में आयी पहली अभियुक्ता मामूनी जना उर्फ मोनी यादव पत्नी निर्मल यादव उपरोक्त से पूछताछ की गई तो बताया कि साहब यह ज्वैलरी मैंने सेक्टर- 12 नोएडा के पी-ब्लाक के एक घर से चोरी की थी और बरामद नगदी के बारे में पूछा गया तो बताया कि मैंने चोरी की गई ज्वैलरी में से कुछ ज्वैलरी राह चलते व्यक्तियो को अपनी मजबूरी बताकर बेच दी थी जिनसे मुझे कुल तीन लाख रूपये मिले थे। जिसमें से कुछ पैसे मैंने अपने निजी खर्च के लिए इस्तेमाल कर लिये थे और ये बचे हुये पैसे मेरे पास उसी बेची हुई ज्वैलरी के है।

2. प्रकाश में आयी दूसरी अभियुक्ता आशा उर्फ मामोनी उर्फ मोनी यादव पत्नी कमल यादव उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह मूलत पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, करीब 05 साल पहले अपने पति के साथ नोएडा रहने आयी थी, दिनांक 09.10.2025 को काम के सिलसिले में ग्रा0 बरौला में आयी थी तो रास्ते में एक महिला से काम के बारे में पूछा तो उस महिला के द्वारा बताया गया कि सेक्टर- 49 नोएडा में काम के लिए एक महिला की जरूरत है वहाँ जाकर जानकारी कर लो। इसके बाद इस महिला के द्वारा उनके घर में काम करने की बारे में बात की गयी तो उनके द्वारा दिनांक 09.10.2025 को ही काम पर लगा लिया गया जिसके बाद महिला के द्वारा काम करने के दौरान ही से0 49 नोएडा में अलमारी जिसका ताला खुला हुआ था जिसमें से कुछ सोने के आभूषण व कुछ पैसे चोरी किये थे। जिसे लेकर मैं से0 20 अपने किराये के मकान में आ गयी थी, दिवाली करने के बाद महिला के द्वारा उन गहनों व नगदी को लेकर अपने घऱ पश्चिम बंगाल अपने पति के साथ आ गयी थी, फिर उसके द्वारा कुछ गहनों को गलवाकर तथा कुछ गहनें को राह चलते व्यक्ति को बेंचकर लगभग 01 लाख 34 हजार रूपयें मिले थे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता--

मामूनी जना उर्फ मोनी पत्नी निर्मल यादव उम्र करीब 31 वर्ष उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 0503/2025 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस0 थाना से0-24 नोएडा गौतमबुद्धनगर

आशा उर्फ मामोनी उर्फ मोनी यादव उम्र करीब 30 वर्ष उपरोक्त'

1. मु0अ0सं0 0306/2025 धारा 306, 317(2) बीएनएस0 थाना से0-49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

थाना से0-24 -- पाचँ पेडेंट चैन सहित, एक मंगलसूत्र चैन (पेडेट) सहित, एक नैकलेस (सभी पीली व सफेद धातू), पाच चैन पीली धातु, दो पेडेट पीली धातु, तीन पेडेट सफेद व पीली धातु, एक छोटा कडा सफेद व पीली धातु , एक सोने का टुकडा, नौ जोडी इयर रिंग पीली व सफेद धातु, एक जोडी इयर रिंग सफेद व पीली धातु , एक जोडी कडे सफेद व नीले स्टोन, दो अंगुठी सफेद व पीली धातु, दो नैकलेस (सफेद धातु व हरे रंग के स्टोन) , सफेद धातु पैडेट चैन सहित, एक ब्रेसलेट सफेद व पीली धातु, एक ब्रेसलेट का टुकडा तीन पत्ती वाला (पीली धातु) व कुल नगदी एक लाख चौवन हजार आठ सौ दस रुपये (154810/- बरामद । (कुल कीमत लगभग 70 लाख रुपये)

⇓ **थाना से0 49--**

एक पीली धातु बिस्किट वजन- 69.49 ग्राम,

एक बैंगल पीली धातु वजन- 9.37 ग्राम ,

सफेद पत्थर वजन 0.250 ग्राम

कुल नगदी 134500 रुपये

2. थाना दादरी पुलिस द्वारा अवैध गांजे की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा व 01 मोटर साईकिल (चोरी की) बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.11.2025** को **थाना दादरी पुलिस** द्वारा अभियुक्त समीर पुत्र शकील को आमका फाटक के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा व 01 मोटर साईकिल (चोरी की) बरामद।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटर साईकिल मैंने करीब डेढ माह पहले रूपवास बाईपास से चोरी की थी। मोटरसाईकिल चोरी के सम्बन्ध मे थाना दादरी पर मु0अ0सं0 581/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास--

समीर पुत्र शकील निवासी मौहल्ला गौतमपुरी कस्बा व थाना दादरी कमिश्नरेट गौ0बु0नगर--

1.मु0अ0सं0 629/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 592/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 581/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 179/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक 03 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 348/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 1118/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0 1116/2018 धारा 414 भादवि थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा

01 मोटर साईकिल (चोरी की)।